प्रकरण संख्या 18/2018 RCMS ID-2018/00067 ता0रजू 19.07.2018

न्यायालय जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी डॉ. मोहन लाल यादव, आई.ए.एस.

रामरतन पुत्र भौरया उम्र 62 साल जाति जाटव निवासी भावली तहसील मासलपुर जिला करौली (राज0) — अपीलाण्ट

बनाम

सहायक वन संरक्षक करौली — रेस्पोण्डेण्ट

अपील व नाराजगी आदेश प्रकरण सं0 6/2018 क्षेत्रीय वन अधिकारी मासलपुर बनाम श्री रामरतन निर्णय दिनांक 20.06.2018 जिसकी रूह से बेदखली का निर्णय जारी किया है।

निर्णय

दिनांक 27.11.2019

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलाण्ट द्वारा बीट गुवरेडा के मौका ग्राम भावली की वनभूमि खसरा नं. 23.04/8 रकबा 30x50 वर्गफुट पर मकान एवं पाटौर निर्माण कर अतिक्रमण करने की वनपाल की रिपोर्ट एवं क्षेत्रीय वन अधिकारी मासलपुर द्वारा अतिक्रमण की पुष्टि करने के आधार पर सहायक वन संरक्षक करौली द्वारा मुकदमा नं. 06/2018 में पारित निर्णय दिनांक 20.06.2018 के विरुद्ध यह प्रथम अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी की तलबी जरिये सम्मन नोटिस की गई। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब कर शामिल पत्रावली किया गया।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वकील अपीलाण्ट ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया है कि लायक मातहत अदालत सहायक वन संरक्षक करौली का निर्णय गलत, बेबुनियाद, आरविट्रेरी, इल्लीगल एवं परवर्स है जो हर हाल में खारिज होने योग्य है। ग्राम भावली में जाटवों के राजाशाही जमाने से करीब 50 वर्ष पूर्व से सैंकड़ों मकान बने हुये हैं। ये सभी लोग अनुसूचित जाति के है तथा अपने बाल–बच्चों के साथ रिहायश कर रहें हैं। इन मकानों के अतिरिक्त अन्य कोई मकान रिहायश के लिये उपलब्ध नहीं है। गांव भावली में माखन पुत्र होरीलाल, किन्दूरी पुत्र किशनलाल, हरि पुत्र रतनलाल, अमरलाल पुत्र रामेत, निरंजन पुत्र देवीलाल, भजन लाल पुत्र लल्लई, चकोल्या पुत्र सीताराम, नरेश पुत्र छोटे मीना, हरदयाल पुत्र दोजी जाटव, भूरू पुत्र शीशराम व अन्य बहुत से जाटवों के मकान बने हुये हैं। जाटव बस्ती है तथा 50 वर्षों से कब्जा चला आ रहा है। वनपाल की रिपोर्ट को सर्वोपरि मानकर यह गलत निर्णय पारित किया गया है। मौके पर वन विभाग की कोई जमीन नहीं है तथा लायक मातहत अदालत में उक्त जमीन को 2304/8 रकबा 30x50 वर्गफुट पर 50 साल से मकान बने हुये हैं जिनमें बिजली कनेक्शन व राज्य सरकार द्वारा सड़क बनी हुई है एवं राज. सरकार द्वारा सारी सुविधाएं दी हुई हैं। अपीलान्ट की ग्रहस्थी आवास कर रही है। राज. सरकार के कानून प्रावधानों के अनुसार किसी के घर को उजाड़ा नहीं जा सकता। पुराने कब्जे के आधार पर उनको आवंटन किया जा सकता है। वैसे जिस स्थान पर मकान बने हुये हैं वह जमीन वन विभाग की नहीं है। सैकड़ो लोगों की आबादी है बस्ती बनी हुई है। उसे उजाड़ने का किसी को अधिकार नही है। वन संरक्षक ने यह आरवीट्रेररी निर्णय पारित किया है। गरीबों की जमीन को, मकानों को

हटाने का अधिकार सहायक वन सरंक्षकों को नहीं है। मौके पर यदि श्रीमान जी अवलोकन करें तो वास्तविक स्थिति रोशन हो सकती है कि वहां पर पूरी जाटव बस्ती है तथा ये लोग अशिक्षित, गरीब व बेसहारा हैं। इनके लिये राज्य सरकार आवास की सुविधा देने के लिये तत्पर रहती है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भी मकान अनुसूचित जाति जनजातियों को दिये जा रहे है। एक ओर राज्य सरकार आवास दे रही है दूसरी ओर वन विभाग की जमीन मानकर उन्हें बेदखल किया जा रहा है। लायक मातहत का निर्णय निरस्त होने योग्य है। अपीलार्थी ने कोई अतिक्रमण नही किया है। 50 सालों से रह रहें हैं। उसी पर हमारा कब्जा है। अंत में अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाने का कथन किया है।

पैरोकार सरकार का बहस में कथन है कि वनपाल नाका महुआ खेड़ा रेंज मासलपुर ने बीट गुवरेडा के मौका भावली गांव के ऊपर की वनभूमि आराजी खसरा नं. 2304/8 पर रकबा 30x50 वर्गफुट पर मकान व पाटौर बनाकर अपीलार्थी द्वारा अतिक्रमण करने की रिपोर्ट पेश की गई जिसकी पुष्टि क्षेत्रीय वन अधिकारी रेंज मासलपुर द्वारा की गई। अपीलार्थी को तलब किये जाने पर अपीलार्थी द्वारा उक्त वनभूमि में टीन व झोंपड़ी डालकर 3 वर्ष से रहना स्वीकार किया है। अपीलार्थी द्वारा यह भी स्वीकार किया गया है कि उसके द्वारा यह अनजाने में बना ली गई है तथा जमीन को खाली करने एवं जुर्माना राशि भरने के लिए तैयार है। इसके उपरांत भी अपीलार्थी द्वारा उक्त भूमि को खाली नहीं किया गया है। कार्यवाही विधिसम्मत् है। अंत में अपील अपीलाण्ट खारिज फरमाने का कथन किया है।

बहस उभय पक्षकारान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का गहनता से अवलोकन कर मनन किया गया। अपीलाण्ट द्वारा वनखण्ड नाका महुआ खेड़ा की बीट गुवरेडा के मौका गांव भावली के ऊपर आराजी खसरा नं. 2304/8 में रकबा 30x50 वर्गफुट पर अतिक्रमण करना स्वीकार किया है। अदालत मातहत में अपीलाण्ट ने अतिक्रमण को हटाने बाबत् तैयार होना भी स्वीकार किया है। अपीलार्थी द्वारा अदालत मातहत में वनभूमि पर किये गये अतिक्रमण को खाली करने के लिए तैयार होने के बावजूद अब तक खाली नहीं करना अपीलार्थी की बदनीयति को दर्शाता है जो किसी भी प्रकार से क्षम्य नहीं है। अतः हम अदालत मातहत के निर्णय में किसी भी प्रकार का बदलाव किया जाना उचित नहीं समझता हैं।

अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 20.06.2018 यथावत् रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति के साथ वापस भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 27.11.2019 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ. मोहन लाल यादव)
जिला कलक्टर
करौली

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Mohan Lal Yadav
Date: 2019.12.06 17:03:18 IST
Reason: SelfAttested
Location: